

उत्तराखण्ड शासन,  
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग-2  
संख्या —/19-XIX-2/18 खाद्य/2010  
देहरादून: दिनांक 31 मई, 2019

कार्यालय ज्ञाप

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या- 192(14)/2018-FC A/Cs दिनांक 06.05.2019 में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में खाद्यान्न के परिवहन हेतु Schedule of Rates (SoR) तय करने तथा विभिन्न जनपदों में दरों का विश्लेषण कर Acceptance/Rejection प्रदान किये जाने हेतु प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति (State Level Committee) का गठन किया जाता है जिसमें निम्न सदस्य होंगे:-

- |   |   |       |
|---|---|-------|
| (1) कार्यकारी निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, उत्तराखण्ड प्रभारी                               | - | सदस्य |
| (2) महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, उत्तराखण्ड  | - | सदस्य |
| (3) जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर  | - | सदस्य |
| (4) जिलाधिकारी, देहरादून  | - | सदस्य |
| (5) सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढवाल सम्भाग   | - | सदस्य |
| (6) परिवहन आयुक्त अथवा उनका नामित प्रतिनिधि   | - | सदस्य |
| (7) वित्त नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता<br>मामले विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून | - | सदस्य |

उक्त समिति भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही कर अपनी संस्तुति शासन को उपलब्ध करायेगी।

(आर0के0 तोमर),  
संयुक्त सचिव।

संख्या 500/19-XIX-2/18 खाद्य/2010 तददिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 06.05.2019 के क्रम में प्रेषित।
- 2- आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3- आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड।
- 4- कार्यकारी निदेशक, नार्थ जोन, भारतीय खाद्य निगम, नोएडा।
- 5- जिलाधिकारी, देहरादून/ऊधमसिंहनगर।
- 6- महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढवाल/कुमायूँ सम्भाग, देहरादून/हल्द्वानी।
- 8- वित्त नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 9- समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,  
(आर0के0 तोमर),  
संयुक्त सचिव।